

**SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) :** No. They are again given a chance. Don't say like that.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** It is left to you. You decide about it in the Business Advisory Committee.

*(Interruptions)*

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** What I say is, suppose, the Members are not present when their statement under Rule 377 is there and they are called, their party will lose the chance. If they are absent, their party will lose the chance. So, nobody should be absent. I would only suggest...

*(Interruptions)*

**SHRI RAMAVATAR SHASTRI :** Do not say like that.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** I am only telling that nobody should be absent when the names are listed. Because this chance is lost to their Party if they do not Come here.

*(Interruptions)*

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** These copies should be given to such of those Members as are present, and if they are not here to receive them, their names should not be listed here.

**AN HON. MEMBER :** It is a very good suggestion.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** Shri Mani Ram Bagri.

You work out a procedure. No procedure is final. Now, Shri Mani Ram Bagri.

(iii) Tension in Varanasi on Supreme Court's Judgement relating to shifting of two graves.

श्री मनी राम बागड़ी (हिमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मौहल्ला दोषीपुरा, जिला वाराणसी

शहर के अन्तर्गत कब्रगाह के मामले को लेकर शिया और सुन्नी, मुसलमानों में तनाव व्याप्त है। कई बटालियन पी.ए.सी. वहां पर अभी भी झगड़ा होने के आदेशों से तैनात हैं। यह परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि दस हफ्ते के अन्दर दो मजारों को खोद कर दूसरी जगह रख दिया जाए मुसलमानों का सुन्नी तबका कब्रों को खोदने का सख्त विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि जमीन शिया की है, मगर मजार हमारी है। उनका कहना है कि सरकार मजार को खुदवाए नहीं, स्कि कोई ऐसी व्यवस्था करे, जिससे हम जोग परम्परागत रूप से कब्र पर चढ़र तथा इबादत वगैरह करते रहे। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 12 अप्रैल 1984 के पूर्व ही उसको हटा कर दूसरी जगह रखना लाजिमी है। शिया और सुन्नी साम्प्रदाय के लोग आपसी झगड़ा नहीं चाहते।

अधिकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमें मानना ही पड़ेगा। यह मामला लगभग 134 वर्ष पुराना है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रपति से निवेदन करे कि वह सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों की एक बेंच को इस कब्रगाह के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे, जिससे इस लोक महत्व के तात्कालिन महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरा विचार हो सके और भविष्य में होने वाला दंगा-फसाद रुक जाये।

(iv) Failure of the management of Bharat Carpet Ltd. to pay four month's salary to their employees and to deposit provident fund amount collected from employees with the Provident Fund Commissioner.

श्री रशोब मसूब (सहारनपुर) : मौहतरम, भारत कार्पेट लिमिटेड के मुलाजमीन, जिनकी